

**न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला –बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रक.क्रमांक-511/2009

संस्थित दिनांक –24.09.2009

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-गढ़ी,
जिला-बालाघाट (म.प्र.)

----- अभियोजन

// **विरुद्ध** //

तेजराज पिता प्रतापसिंह मरावी, उम्र 43 वर्ष,
साकिन-सिजोरा, थाना गढ़ी,
जिला बालाघाट (म.प्र.)

----- आरोपी

// **निर्णय** //

(आज दिनांक-23/12/2014 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-510 का आरोप है कि आरोपी ने घटना दिनांक-16.09.2009 को समय शाम 5:00 बजे स्थान भालापुरी स्कूल के सामने थाना गढ़ी अंतर्गत मत्तता की हालत में शासकीय शाला के सामने लोकमार्ग पर गाली-गुप्तार कर ऐसा आचरण किया, जिससे वहां उपस्थित शिक्षकगण एवं छात्रगण को क्षोभ कारित किया।

2- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि घटना दिनांक-16.09.2009 को समय शाम 5:00 बजे स्थान भालापुरी स्कूल के सामने थाना गढ़ी अंतर्गत मत्तता की हालत में शासकीय शाला के सामने लोकमार्ग पर गाली-गुप्तार किया। उक्त घटना के संबंध में थाना गढ़ी में इशतगासा क्रमांक-01/2009, धारा-510 भा.दं.सं. का अपराध पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। पुलिस द्वारा आरोपी का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया। पुलिस द्वारा अनुसंधान के दौरान पंचनामा तैयार किया गया, साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये तथा आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत इशतगासा न्यायालय में पेश किया गया।

3- आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-510 के अंतर्गत अपराध विवरण तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपी ने धारा-313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को निर्दोष होना तथा झूठा फँसाया जाना व्यक्त किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया गया।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह है कि:—

1. क्या आरोपी ने घटना दिनांक—16.09.2009 को समय शाम 5:00 बजे स्थान भालापुरी स्कूल के सामने थाना गढ़ी अंतर्गत मत्तता की हालत में शासकीय शाला के सामने लोकमार्ग पर गाली—गुप्तार कर ऐसा आचरण किया, जिससे वहां उपस्थित शिक्षकगण एवं छात्रगण को क्षोभ कारित किया?

विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :—

5— राजू बघेल (अ.सा.2) ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी तथा प्रार्थी को पहचानता है। घटना वर्ष 2011 की है। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसके समक्ष पंचनामा नहीं बनाया था। पंचनामा प्रदर्श पी-1 पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार नहीं की थी। गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-2 पर उसके हस्ताक्षर नहीं हैं। उसने पुलिस को बयान नहीं दिया था। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना के समय आरोपी को शराब के नशे में थाना गढ़ी में लाया गया था। साक्षी ने उसके सामने आरोपी को गिरफ्तार किये जाने, पंचनामा तैयार करने और उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी-3 से भी इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामले का अपनी साक्ष्य में किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

6— भगतसिंह मरावी (अ.सा.3) ने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह आरोपी को पहचानता है, जो उसके गांव में शिक्षक था। उसे घटना के संबंध में कोई जानकारी नहीं है। पंचनामा प्रदर्श पी-1 पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार नहीं की थी, किन्तु गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-2 पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने पुलिस को बयान नहीं दिया था। साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है कि घटना के समय आरोपी को शराब के नशे में थाना गढ़ी में लाया गया था और वह गाली—गुप्तार कर रहा था। साक्षी ने उसके सामने आरोपी को गिरफ्तार किये जाने, पंचनामा तैयार करने और उसके पुलिस कथन प्रदर्श पी-4 से भी इंकार किया है। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि वह पुलिस थाने किसी काम से गया था तो पुलिस ने उससे कोरे कागज पर हस्ताक्षर करवाये थे। इस प्रकार साक्षी ने अभियोजन मामले का अपनी साक्ष्य में किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया है।

7— अनुसंधानकर्ता अधिकारी धर्मेन्द्र यादव (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक—16.09.2009 को थाना गढ़ी में थाना प्रभारी के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को उसे पालक शिक्षक संघ के सदस्य भगतसिंह मेरावी द्वारा आरोपी तेजराम को शराब पिये हुये हालत में थाना लाया गया था। भगतसिंह मरावी ने बताया था कि आरोपी भालापुरी स्कूल के समाने शराब की हालत में मदहोश पड़ा था। उक्त संबंध में पंचनामा प्रदर्श पी-1 बनाया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। आरोपी के मुंह से शराब की बदबू आ रही थी, जिसकी कायमी रोजनामचा सान्हा क्रमांक—460, दिनांक—17.09.2009 में की गई थी। उसके द्वारा आरोपी का शासकीय अस्पताल बैहर में

चिकित्सीय परीक्षण करवाया गया था। उसके द्वारा राजू बघेल, भगतसिंह के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया गया था। उसके द्वारा आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-2 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना उपरांत इश्तगासा क्रमांक-1/2009, धारा-510 भा.द.वि. आरोपी के विरुद्ध पेश किया गया है, जो प्रदर्श पी-3 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं।

8— उक्त साक्षी ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना दिनांक-16.09.2009 की है तथा उसे थाने में सूचना दिनांक-17.09.2009 को प्राप्त हुई। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके कथन का महत्वपूर्ण खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। इस साक्षी के द्वारा आरोपी के विरुद्ध साक्षी भगतसिंह मेरावी की सूचना पर कार्यवाही किये जाने का आधार प्रकट करते हुये यह बताया गया है कि आरोपी कथित रूप से शराब पिये मदहोश हालत में पड़ा हुआ था। यद्यपि जिस दिनांक को आरोपी कथित मत्तता की हालत में पाये जाने की सूचना थाने में प्राप्त की गई थी, उसी दिन आरोपी के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किये जाने या कार्यवाही किये जाने का आधार प्रकट नहीं किया गया है, बल्कि घटना के अगले दिन कथित रोजनामचा सान्हा में कायमी कर आरोपी के विरुद्ध इश्तेगासा तैयार किया जाना प्रकट होता है। जबकि पंचनामा प्रदर्श पी-1 घटना दिनांक को ही साक्षीगण के समक्ष तैयार किया जाना प्रकट होता है। ऐसी दशा में आरोपी के विरुद्ध कार्यवाही में परस्पर विरोधाभास होना प्रकट होता है साथ ही उक्त कार्यवाही का समर्थन साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में नहीं किये जाने से भी आरोपी के विरुद्ध मामला संदेहास्पद हो जाता है।

9— आरोपी की कथित मत्तता की हालत में तैयार पंचनामा भी विधिवत् प्रमाणित नहीं है और न ही उस समय चिकित्सक द्वारा तैयार परीक्षण रिपोर्ट को विधिवत् चिकित्सीय साक्षी के माध्यम से प्रमाणित किया गया है। आरोपी के विरुद्ध घटना दिनांक को उसकी मत्तता की हालत में पाये जाने का तथ्य संदेह से परे प्रमाणित नहीं है, इसके अलावा कथित मत्तता की हालत में आरोपी के कथित आचरण से क्षोभ कारित होने के तथ्य को भी किसी साक्षी ने अपनी साक्ष्य में प्रकट नहीं किया है। इस प्रकार अभियोजन का मामला प्रत्यक्ष साक्ष्य के अभाव में संदेहास्पद प्रतीत होता है, जिसका लाभ आरोपी को प्राप्त होता है।

10— उपरोक्त सम्पूर्ण साक्ष्य की विवेचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन ने अपना मामला युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में मत्तता की हालत में शासकीय शाला के सामने लोकमार्ग पर गाली-गुफ्तार कर ऐसा आचरण किया, जिससे वहां उपस्थित शिक्षकगण एवं छात्रगण को क्षोभ कारित किया। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-510 के अपराध से दोषमुक्त कर स्वतंत्र किया जाता है।

11— आरोपी के जमानत मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

12— प्रकरण मे आरोपी दिनांक—22.12.2014 से दिनांक—23.12.2014 तक न्यायिक अभिरक्षा में निरुद्ध रहा है, जिसके संबंध में धारा—428 द.प्र.सं. के अंतर्गत पृथक से प्रमाण पत्र तैयार किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट